ant review of the progress was to be ed on monthly basis by the General agers themselves, so that it is ensured proper utilisation of funds and expedi- completion of the works is done. is also decided that such of the pro- which have reached a very advanced and could be completed this year should be given the necessary funds enable their completion.

ementation of recommendations of the edical education review committee

11. SHRI SHRIKANT VERMA: the Minister of HEALTH AND MILY WELFARE be pleased to refer eply to Starred Question 156 given in Rajya Sabha on 1st August, 1984 and :

i) whether Government have consi- d the report of the Empowered Com- ee which was appointed to consider the mmendations made by the Medical cation Review Committee; and

b) if so, what are the details of the on taken thereon?

HE DEPUTY MINISTER IN THE NISTRY OF HEALTH AND MILY WELFARE (MISS KUMUD EN M. JOSHI): (a) No, Sir.

b) Does not arise.

पावर कारों का उपयोग

*412. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क) क्या यह सच है कि रेल- ड़ियों में पावर कार लगाने से कर्म- रियों की संख्या और खर्च में कमी यी है;

(ख) यदि हां, तो इस के फलस्वरूप चारियों की संख्या और व्यय में कितनी ो हुई है ;

(ग) पावर कार चलाने के लिए कितने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गयी ; और

(घ) क्या सरकार लोको रनिंग स्टाफ को दी जा रही सुविधाओं के तुल्य सुविधायें विद्युत् कर्मचारियों को भी प्रदान करने का विचार रखती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी; नही ।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) 391

(घ) लोको तथा रनिंग कर्मचारी और यातायात रनिंग कर्मचारी "रनिंग कर्मचारी" कोटि के अन्तर्गत आते हैं क्योंकि वे गाड़ी परिचालन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं जब कि अन्य सभी कोटियों के कर्मचारियों को "रनिंग कर्मचारी" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता क्योंकि ये कर्माचरी केवल सहायक कर्मचारी के रूप में होते है--उदाहरणार्थ चल टिकट परीक्षक, यान परिचर जिनमें बिजली कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्हें गाड़ियों में रोशनी आदि के लिए बिजली सम्बधी कार्य करने होते है ।

मेरठ में रेलवे कोच निर्माण करने वाली फैक्टरी

*413. **श्री सत्यपाल मलिक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेरठ में रेलवे कोच निर्माण करने की फैक्टरी लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) एक नयी कोच फैक्टरी का निर्माण योजना आयोग ने 1982 में सिद्धान्त रूप से अनुमोदित कर दिया हैं । इसके स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इक्नामिक सर्विसेज को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम, जिसमें स्थान-निर्धारण सर्वेक्षण शामिल है, सौंपा गया हैं । परियोजना रिपोर्ट को अन्तिमरूप दिये जाने के बाद ही इस फैक्टरी के स्थान के बारे में निर्णय लिया जायेगा ।

Site for Wagon Manufacturing unit in Bihar

*414. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway Board has sounded the Bihar Government about a suitable site for the proposed Railway wagon manufacturing unit;

(b) whether it is also a fact that the Bihar Government has recommended Jamalpur and Kanti (Muzaffarpur) as the possible sites; and

(c) what progress has been made in this regard?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHOUDHURY): (a) The Railway Board has not sounded the Bihar Government about a suitable site for any proposed railway wagon manufacturing unit. There is adequate capacity available in the public sector as well as in the private sector in India for manufacturing railway wagons.

(b) and (c) If the Member meant a coach manufacturing unit then the Bihar Government has requested for locating the new coach factory near Jamalpur or near Muzaffarpur (Kanti). The Rail India Technical and Economic Services have been assigned the task of preparation of a project report including location survey. They will be evaluating the suggested site of the Bihar Government in this connection.

गन्ना-उत्पादकों की बकाया धन राशि

*415. **श्री वीरेन्द्र वर्मा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 10 जुलाई, 1979 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य के बारे में केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना को अवैध घोषित कर दिया था और भारत सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर दी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत पांच वर्षों से उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की लगभग 10 करोड़ रुपये की धनराशि मिल मालिकों पर बकाया हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उसके शीघ्र भुगतान करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) 1983-84 और पिछले मौसमों के बकायों को दृष्टि में रखते हुए उत्तर प्रदेश में 30 जून, 1984 को गन्ने के मूल्य की कुल बकाया राशि 84.28 करोड़ रुपए बैठती है ।

(ग) गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान करवाना सुनिश्चित करना सीधी राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है जिनके पास ऐसे भुगतान करवाने के